राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पावा

पीठासीन अधिकारी:– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व विविध सं. 18/2016
तारीख दायरा 17.03.2016
तारीख फैसला 01.06.2016

प्रार्थी–	बनाम:	अप्रार्थी–
नेनाराम पुत्र नवाजी जाति सिरवी निवासी पावा तहसील सुमेरपुर		तगाराम पुत्र नवाजी जाति सिरवी निवासी पावा तहसील सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955

–: आ दे श :–

दिनांक 01.06.2016

(1) कि उपरोक्त अनबान की पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र पावा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया, जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। इस प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा पावा तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1543, 1543/2819, 1552 कुल रकबा 7.75 हेक्टर के बारे में प्रार्थी (वादी) ने अप्रार्थी (प्रतिवादी) के विरूद्ध बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए मूल वादपत्र के साथ–2 यह परिवाद उल्लेखित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1543/2819 रकबा 0.16 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा जो नजरी नक्शा में मार्क ABCD से संबंधित है, के बारे में मूल वाद पत्रावली के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। परिवाद के साथ दस्तावेज क्रमशः नजरी नक्शा, हाल जमाबंदी संवत् 2068–71 व नक्शाट्रेस की छाया प्रतियां पेश हुई।

(2) कि पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से इस आशय का राजीनामा पेश किया है कि "जब तक रिकार्डेड बंटवारा नहीं हो जाता, हम मौके पर चिन्हित मार्क ABCD क्षेत्र में किसी प्रकार से निर्माण नहीं करेंगे, इस आशय की अन्तरिम निषेधाज्ञा से दोनों पक्ष सहमत है"। फलस्वरूप हमारे विधिक विचारों में परिवाद में वर्णित अभिकथनों, उपलब्ध रेकर्ड एवं तस्दीक सुदा राजीनामे की इबारत अनुसार कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः पक्षकारों के राजीनामा इबारत अनुसार सरहद मौजा पावा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1543/2819 रकबा 0.16 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा जो नजरी नक्शा में मार्क ABCD से दर्शाया है, के क्षेत्र में मूल वाद पत्रावली के निर्णय तक अर्थात जब तक रिकार्डेड बंटवाडा नहीं हो जाए, तब तक दोनों पक्षकार किसी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं करेंगे, के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उपरोक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से दोनों पक्षकार पाबंद रह कर पालना सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 01.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प पावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुमेरपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ केम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– पावा, सुमेरपुर

राजीनामा-प्रपत्र

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय
पावा, सुमेरपुर

दिनांक 1-6-16

नेनाराम बनाम तगाराम

प्रकरण संख्याः– 18/2016 अन्तर्गत धारा 212 R.T.A.

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री नेनाराम का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी हैं एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा हैं। हम पक्षकारो के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

कि जब तक रिकॉर्ड बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक मौके पर चिन्हित ABCD क्षेत्र में कोई प्रकार का निर्माण नहीं होगा। इस आशय की स्थगन निषेधाज्ञा में दोनों पक्ष सहमत हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारक करने की कृपा करें।

वादी पक्ष : 1. L.T.I. नेनाराम
2.
3.
4.

प्रतिवादी पक्ष 1.
2.
3.
4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature]
(वादी पक्ष) नाम अमृतलाल चौधरी एडवोकेट

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम [signature]

प्रार्थी / वादी ______ एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी ______ द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया हैं। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हसबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

[signature]
पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner